रामेश्वरलाल बनाम रामलाल

23-02-23

अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। पत्रावली पर अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपित्त पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 28–02–2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में कथन है कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायायालय के आदेश दिनांक 28–02–2022 के विरूद्व एक अन्य अपील दिनांक 20–04–2022 को प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट् द्वारा उक्त अपील धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी, जबकि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री की अपील के प्रावधान धारा 225 आरटीए के तहत नहीं होकर धारा 223 आरटीए में निहित होने के कारण उक्त आश्य की आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् यह तथ्य साबित होने पर की अपीलांट् द्वारा धारा 223 आरटीए के स्थान पर धारा 225 आरटीए के तहत अपील प्रस्तुत की गई है, आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपीलांट् की उक्त अपील को दिनांक 04–05–2022 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट् द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जिससे साबित है कि अपीलांट् उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्चतर न्यायालय में चाराजोई कर चुके है तथा उक्त अपील में अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज करने की मांग की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की मांग उच्चतर न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है तथा यह तथ्य न्यायालय के समक्ष आ चुके है कि अपीलांट् द्वारा आदेश जैर अपील की पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उन्हीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु व समान भूमि के बाबत् प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से रेस्ज्यूडिकेसा के सिद्वान्त से बाधित है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट् की अपील रेस्ज्यूडिकेसा के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्याय 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2007 पेज 51 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में यह तथ्य सही है किक अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2022 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट् द्वारा उक्त अपील 225 आरटीए के तहत इस आधार पर भी प्रस्तुत की गई थी कि तत्समय अदालत मातहत द्वारा डिक्री जारी नहीं की गई थी तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि धारा 223 आरटीए के तहत मात्र डिक्री की अपील के प्रावधान निहित है। अपीलांट् की जानकारी में यह तथ्य आने पर कि अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 28–02–2022 के अनुसरण में डिक्री तैयार कर दी गई है, अपीलांट् द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील जोकि धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी, को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील को जरिये विड्रा निर्णित करने के स्थान पर सही धारा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के बिन्दु पर खारिज फरमा दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है। चूंकि अपीलांट् द्वारा पूर्व में अपील धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी तथा वर्तमान में अपील धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार दोनों अपीलों की विषय वस्तु व धारा अलग–अलग होने से प्रस्तुत अपील पर रेस्ज्यूडिकेसा का सिद्वान्त लागू नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र न्यायालय को गुमराह करने की नियत मात्र से व प्रकरण का गुणावगुण पर निर्धारण से बचने की नियत मात्र से उक्त प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसकी कानून में कोई महता नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट की आपत्ति को विद् कोस्ट खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2022 जोकि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम मान्याणा के खेत खसरा नम्बर 957/751 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 1031/961/552 रकबा 1.7042 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 2.0442 हेक्टर के बाबत् अन्तर्गत धारा 183 आरटीए व धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत वादपत्र पर पारित किया गया है, के विरूद्व प्रथम अपील दिनांक 20–04–2022 को धाारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04–05–2022 को इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत पारित आदेश क विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए के स्थान पर धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित है। अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04–05–2022 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उसके उपरान्त पुनः आदेश दिनांक 20–04–2022 के विरूद्व अपील धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा आदेश जैर अपील के विरूद्व न्यायालय हाजा के साथ–साथ माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में भी चाराजोई किये जाने के उपरान्त उक्त अपील नये सिरे से प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 जिसमें रेस्ज्यूडिकेसा के सिद्वान्त को परिभाषित किया गया है:

Res Judicata – No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom thay or

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.,

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा समान विषय वस्तु/भूमि व पक्षकारों को लेकर अपील पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील का निस्तारण किये जाने के उपरान्त अपीलांट् द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष चाराजोई की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 (Res Judicata) के प्रावधानलागू होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपित्त स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील रेस्ज्यूडिकेसा के बिन्दु पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर